प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार अर्थदंड की सजा

दिनांक: 27.08.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 27.08.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना पिसांवा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/14 धारा 302/323/34 भादवि बनाम 1.बचान 2.सन्तकुमार उर्फ खरगू 3.शिवकुमार पुत्रगण कोमले कहार सर्व निवासीगण ग्राम महतनिया थाना पिसांवा जनपद सीतापुर में पिसांवा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 27.08.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-08 सीतापुर द्वारा हत्याभियुक्तों 1.बचान 2.सन्तकुमार उर्फ खरगू 3.शिवकुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/323/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं पचास-पचास रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....